रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
PUBLISHED BY AUTHORITY
प्राधिकार से प्रकाशित

सं. 440] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 21, 1994/आश्विन 29, 1916
No. 440] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 21, 1994/ASVINA 29, 1916

LIBRARY INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अक्तूबर, 1994

सं. 178/94—सीमाशुल्क

सा.का.नि. 770(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक, है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 3/सीमाशुल्क/88, तारीख 14 फरवरी, 1988 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना के प्रथम पैरा में,—

(क) शर्त सं. (v) का लोप किया जाएगा और शर्त संख्या (vi) से (xvi) को उसकी शर्त संख्या (v) से (xv) के रूप में पुनर्संख्याकित किया जाएगा;

(ख) इस प्रकार पुनर्संख्यांकित शर्त सं. (xv) के पश्चात् निम्नलिखित शर्तें अन्तः स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :–

"(xvi) इस अधिसूचना के अधीन निर्यात सीमाशुल्क कलक्टर द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार डाक पार्सल के माध्यम से किया जाएगा।

(xvii) सीमाशुल्क सहायक कलक्टर, ऐसी शर्तों और परिसीमाओं के अधीन रहते हुए जो उसके द्वारा अधिरोपित की जाएं और निर्यात-आयात नीति के उपबंधों के अधीन रहते हुए––

(क) उक्त माल या एकक में विनिर्मित माल या पैक किए गए माल को झण्डेवालान कॉम्प्लेक्स के अन्य एककों को अंतरित या प्रदाय करने की अनुज्ञा दे सकेगा;

(ख) अनुपयोज्य स्टाक या खंडित रत्नों के, ऐसे रत्नों के आयात मूल्य के 5 प्रतिशत तक पुनर्निर्यात करने की अनुज्ञा दे सकेगा।"।

[फा. सं. 305/57/94-एफ.टी.टी.]
एस. एम. भटनागर, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st October, 1994

NO. 178/94-CUSTOMS

G.S.R. 770(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3-Customs/88, dated the 14th January, 1988, namely :—

In the first paragraph of the said notification, —

(a) condition number (v) shall be omitted, and the conditions numbers (vi) to (xvi) shall be renumbered as condition numbers (v) to (xv) thereof ;

(b) after condition number (xv) as to renumbered, the following conditions shall be inserted, namely : —

"(xvi) export under this notification may be made through post parcels, as per procedure specified by the Collector of Customs

(xvii) the Assistant Collector of Customs, may subject to such conditions and limitations as may be imposed by him and subject to the provisions of the Export-Import Policy —

(a) permit the said goods or goods manufactured or packaged in the unit to be transferred or supplied to another unit of the Jhandewalan Complex ;

(b) permit re-export of dead-stock or broken stones upto 5% of the value of import of such stones."

[F. No. 305|57|94-FTT]

S. M. BHATNAGAR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1994